क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र अधिनियम, 2016

(2016 का अधिनियम संख्यांक 36)

धाराओं का क्रम

———————

धाराएं

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

2. परिभाषाएं।

3. क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना और निगमन ।

4. राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र की घोषणा ।

5. क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना का प्रभाव ।

6. अधिकारिता ।

7. क्षेत्रीय केन्द्र के उद्देश्य ।

8. क्षेत्रीय केन्द्र के कृत्य ।

9. क्षेत्रीय केन्द्र का यूनेस्को की अन्य संस्थाओं के सहयोग से कार्य करना ।

10. क्षेत्रीय केन्द्र की शक्तियां ।

11. क्षेत्रीय केन्द्र का सभी जातियों, पंथ, मूलवंश या वर्गों के लिए खुला होना ।

12. क्षेत्रीय केन्द्र के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ।

13. क्षेत्रीय केन्द्र के प्राधिकरण ।

14. शासक बोर्ड ।

15. बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।

16. अध्यक्ष की शक्तियां और कृत्य ।

17. कार्यक्रम सलाहकार समिति ।

18. कार्यपालिका समिति ।

19. वित्त समिति ।

20. क्षेत्रीय केन्द्र के अन्य प्राधिकरण ।

21. अध्ययन बोर्ड ।

22. क्षेत्रीय केन्द्र के अधिकारी ।

23. कार्यपालक निदेशक ।

24. संकायाध्यक्ष और उप-संकायाध्यक्ष ।

25. सहयुक्त निदेशक (प्रशासन) ।

26. कुलसचिव ।

27. वित्त अधिकारी ।

28. अन्य अधिकारी ।

29. क्षेत्रीय केन्द्र को अनुदान और उधार ।

30. क्षेत्रीय केंद्र की निधि ।

31. वार्षिक रिपोर्ट ।

32. वार्षिक लेखे ।

33. विवरणियां और जानकारी ।

34. क्षेत्रीय केन्द्र के कार्यकरण का पुनर्विलोकन ।

35. क्षेत्रीय केन्द्र के कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा-शर्तें ।

36. बैठकें ।

37. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना ।

38. प्राधिकरण की कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य न होना ।

39. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

40. माध्यस्थम् ।

41. परिनियम बनाने की शक्ति ।

42. अध्यादेश बनाने के शक्ति ।

43. विनियम ।

44. परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना और संसद् के समक्ष रखा जाना ।

46. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र अधिनियम, 2016

(2016 का अधिनियम संख्यांक 36)

[29 जुलाई, 2016]

क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र नामक संस्था को, राष्ट्रीय महत्व की संस्था स्थापित करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

तारीख 14 जुलाई, 2006 को भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के बीच भारत में क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण और शिक्षा केन्द्र की स्थापना और उसके प्रचालन के लिए करार किया गया था;

और उक्त करार के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने तारीख 20 अप्रैल, 2009 के कार्यपालिक आदेश द्वारा फरीदाबाद, हरियाणा में क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण और शिक्षण केन्द्र स्थापित किया था;

और क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र को सुदृढ़ बनाने और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तथा सम्बन्धित बहु शिक्षण सम्बन्धी क्षेत्रों में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान करने के लिए राष्ट्रीय महत्व की संस्था बनाए जाने के लिए उपबंध करना समीचीन है ;

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र अधिनियम, 2016 है ।

(2) यह उस तारीख[1] को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "शैक्षणिक कर्मचारिवृंद" से सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य, संकायाध्यक्ष, उप संकायाध्यक्ष, कार्यपालक निदेशक और ऐसे अन्य व्यक्ति, जिसके अन्तर्गत अभ्यागत आचार्य, ख्यातिप्राप्त आचार्य, मानद आचार्य, संबद्ध आचार्य और प्रतिष्ठित आचार्य भी हैं, जो क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र में शिक्षा देने, प्रशिक्षण या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किए जाएं या लगाए जाएं, अभिप्रेत हैं ;

(ख) "बोर्ड" से धारा 14 के अधीन गठित शासक बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) "अध्ययन बोर्ड" से धारा 21 में निर्दिष्ट क्षेत्रीय केन्द्र का अध्ययन बोर्ड अभिप्रेत है;

(घ) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ङ) "कर्मचारी" से क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत क्षेत्रीय केन्द्र के अधिकारी, शैक्षणिक और अन्य कर्मचारिवृंद भी हैं ;

(च) "कार्यपालिका समिति" से धारा 18 के अधीन गठित क्षेत्रीय केन्द्र की कार्यपालिका समिति अभिप्रेत है;

(छ) "कार्यपालक निदेशक" से धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त क्षेत्रीय केन्द्र का कार्यपालक निदेशक अभिप्रेत है;

(ज) "विद्यमान क्षेत्रीय केन्द्र" से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, फरीदाबाद में क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण और शिक्षण केन्द्र अभिप्रेत है;

(झ) "छात्र निवास" से क्षेत्रीय केन्द्र के छात्रों के लिए, उसके द्वारा चलाए गए या मान्यताप्राप्त किसी भी नाम से ज्ञात निवास की कोई इकाई अभिप्रेत है;

(ञ) "संस्था" के अन्तर्गत भारत के भीतर या बाहर के ऐसे स्वशासी संगठन सम्मिलित हैं, जो जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण दे रहे हैं और अनुसंधान कर रहे हैं और जो भारत सरकार या उद्योग या विश्वविद्यालयों या अन्य संगठनों द्वारा समर्थित हैं ;

(ट) "अध्यादेश" से धारा 42 के अधीन कार्यक्रम सलाहकार समिति द्वारा विरचित अध्यादेश अभिप्रेत हैं ;

---

[1] अधिसूचना सं०का०आ० 642(अ) तारीख 1 मार्च, 2017 द्वारा, 28 फरवरी, 2017, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3(ii).

(ठ) "कार्यक्रम सलाहकार समिति" से धारा 17 के अधीन गठित क्षेत्रीय केन्द्र की कार्यक्रम सलाहकार समिति अभिप्रेत है;

(ड) "क्षेत्र" से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन राष्ट्रों के राज्यक्षेत्रों और साधारणतया, एशिया क्षेत्र में समाविष्ट क्षेत्र अभिप्रेत हैं,

(ढ) "क्षेत्रीय केन्द्र" से धारा 3 के अधीन स्थापित क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र अभिप्रेत हैं;

(ण) "विनियम" से धारा 43 के अधीन क्षेत्रीय केन्द्र के किसी प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं;

(त) "परिनियम" से धारा 41 के अधीन बोर्ड द्वारा विरचित परिनियम अभिप्रेत हैं ;

(थ) "यूनेस्को" से संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन अभिप्रेत है ।

3. क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना और निगमन—(1) जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण और शिक्षण केन्द्र, फरीदाबाद, हरियाणा को "क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र" नाम से एक निगमित निकाय के रूप में स्थापित किया जाता है जिसका शाश्वत् उत्तराधिकार होगा और एक सामान्य मुद्रा होगी और उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए संविदा करने की शक्ति होगी तथा वह उक्त नाम से वाद लाएगा या उस पर वाद लाया जाएगा ।

(2) क्षेत्रीय केन्द्र, धारा 13 में विनिर्दिष्ट शासक बोर्ड और प्राधिकरणों से मिलकर बनेगा ।

(3) क्षेत्रीय केन्द्र का मुख्यालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र फरीदाबाद में के उसके परिसर में होगा ।

4. राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र की घोषणा—क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र नामक संस्था के उद्देश्य ऐसे हैं जो उसे राष्ट्रीय महत्व की एक संस्था बनाते है, यह घोषित किया जाता है कि क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था है ।

5. क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना का प्रभाव—(1) इस अधिनियम के प्रारंभ से ही,—

(क) इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि में या किसी संविदा या अन्य लिखतों में विद्यमान क्षेत्रीय केन्द्र के प्रति किसी निर्देश के बारे में यह समझा कि वह क्षेत्रीय केन्द्र के प्रति निर्देश है;

(ख) विद्यमान क्षेत्रीय केन्द्र की या उससे संबद्ध सभी जंगम और स्थावर संपत्तियां और आस्तियां क्षेत्रीय केन्द्र में निहित हो जाएंगी;

(ग) विद्यमान क्षेत्रीय केन्द्र के सभी अधिकार और दायित्व क्षेत्रीय केन्द्र को अन्तरित हो जाएंगे और वे उसके अधिकार और दायित्व होंगे;

(घ) खंड (ग) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विद्यमान क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा, उक्त क्षेत्रीय केन्द्र के प्रयोजनों के लिए या उसके संबंध में उक्त तारीख से ठीक पहले उपगत सभी ऋण, बाध्यताएं और दायित्व, उसके साथ या उसके लिए की गई सभी संविदाएं और किए जाने वाले ऐसे सभी मामले और प्रयुक्त चीजें क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा उपगत, उसके साथ या उसके लिए उपगत, की गई, प्रयुक्त की जाने वाली समझी जाएंगी;

(ङ) उस तारीख से ठीक पूर्व विद्यमान क्षेत्रीय केन्द्र को देय सभी धन राशियां क्षेत्रीय केन्द्र को देय समझी जाएंगी;

(च) उस तारीख से ठीक पहले विद्यमान क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित सभी वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां या जो संस्थित की जा सकती थीं, क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकेंगी या संस्थित की जा सकेंगी;

(छ) इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व विद्यमान क्षेत्रीय केन्द्र के अधीन पद धारण करने वाला या उसमें अध्यापन करने वाला प्रत्येक कर्मचारी (जिसके अंतर्गत वे कर्मचारी भी हैं जिन्हें विद्यमान क्षेत्रीय केन्द्र में शिक्षा देने या प्रशिक्षण देने या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किया है) उसी सेवाधृति तक और पारिश्रमिक, छुट्टी, भविष्य निधि, निवृत्ति और अन्य सेवांत सुविधाओं की बाबत सेवा के उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर क्षेत्रीय केन्द्र में अपना पद धारण करेगा या उसमें अध्यापन जारी रखेगा जैसे वह उस दशा में पद धारण करता यदि अधिनियम अधिनियमित नहीं किया गया होता और क्षेत्रीय केन्द्र के कर्मचारी के रूप में, यदि ऐसा कर्मचारी ऐसी अवधि के भीतर क्षेत्रीय केन्द्र का कर्मचारी नहीं होने का विकल्प लेता है तब तक बना रहेगा जब तक उस तारीख से छह मास के अवधि समाप्त नहीं हो जाती है ।

(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 (1974 का 14) में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा किसी कर्मचारी के, उसकी नियमित सेवा में आमेलन से ऐसा कर्मचारी, उस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा और किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा कोई ऐसा दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा ।

6. अधिकारिता—क्षेत्रीय केन्द्र की अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण भारत पर और भारत के भीतर या बाहर क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा स्थापित ऐसे केन्द्रों और अनुसंधान, विकास और शिक्षा के लिए स्थापित विशिष्ट प्रयोगशालाओं या अन्य इकाइयों पर होगा ।

7. क्षेत्रीय केन्द्र के उद्देश्य— क्षेत्रीय केन्द्र के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे,—

(क) प्रौद्योगिकी नीति विकास सहित, जैव प्रौद्योगिकी की ऐसी शाखाओं में और ऐसे संबंधित क्षेत्रों में जैसा वह ठीक समझे, शिक्षा और अनुसंधान की सुविधाएं प्रदान करते हुए ज्ञान का प्रसार और उसमें अभिवृद्धि करना;

(ख) क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सतत विकास के उद्देश्यों के लिए जैव प्रौद्योगिकी और संबंधित शैक्षणिक क्षेत्रों में शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा विकास के माध्यम से क्षमता निर्माण करना;

(ग) क्षेत्रीय स्तर पर जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित ज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतरण को सुकर बनाना;

(घ) क्षेत्र में के देशों में जैव प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता केन्द्रों का सृजन करना और क्षेत्र में मानव संसाधन आवश्यकताओं की पूर्ति करना;

(ङ) लोगों की सामाजिक और आर्थिक दशाओं में सुधार और कल्याण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग का संवर्धन करना और उसको सुदृढ करना;

(**च**) भारत के भीतर के साथ ही साथ क्षेत्र में उपग्रह केन्द्रों के नेटवर्क का संवर्धन करना और उसको सुकर बनाना ।

8. क्षेत्रीय केन्द्र के कृत्य—क्षेत्रीय केन्द्र के कृत्य निम्नलिखित होंगे,—

(क) ऐसे अवसंरचना और प्रौद्योगिकी मंचों की स्थापना करना जो जैव प्रौद्योगिकी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान से प्रत्यक्ष रूप से सुसंगत हो;

(ख) जैव प्रौद्योगिकी और सम्बन्धित क्षेत्रों में शैक्षणिक और प्रशिक्षण क्रियाकलापों का निष्पादन करना जिसके अन्तर्गत शिक्षा और अनुसंधान में डिग्रियां प्रदान करना भी है;

(ग) जैव प्रौद्योगिकी में, विशिष्टतया नए अवसरों के क्षेत्रों में नवीनता लाने वाले अनुकूल मानव संसाधन उत्पन्न करना और अपूर्ण क्षेत्रों में योग्यता की कमी को पूरा करना;

(घ) क्षेत्र में सुसंगत अनुसंधान केन्द्रों के सहयोग से अनुसंधान और विकास तथा वैज्ञानिक खोजें करना;

(ङ) भारत के भीतर या क्षेत्र में या क्षेत्र के बाहर वैज्ञानिक परिसंवाद और सम्मेलन आयोजित करना तथा जैव प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और कार्यशालाएं संचालित करना;

(च) जैव संबंधी जानकारी के लिए डाटा बैंक की स्थापना करने की दृष्टि से सर्वत्र उपलब्ध जानकारियां एकत्र करना;

(छ) स्थानीय पणधारी समुदायों के बौद्धिक संपत्ति अधिकारों की संरक्षा सुनिश्चित करते हुए जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सुसंगत स्थानीय ज्ञान को नेटवर्किंग के माध्यम से एकत्र करना और उसका प्रसार करना;

(ज) बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए ऐसी नीति का विकास और उसका कार्यान्वयन करना, जो क्षेत्रीय केन्द्र में के अनुसंधान में अंतर्वलित पणधारियों के लिए साम्यापूर्ण और न्यायसंगत हो;

(झ) पुस्तकों और लेखों के प्रकाशन के माध्यम से विभिन्न देशों में अनुसंधान क्रियाकलापों के परिणाम का प्रसार करना,

(ञ) राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्कों के साथ जैव प्रौद्योगिकी के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में सहयोगात्मक अनुसंधान और विकास नेटवर्किंग कार्यक्रम का संवर्धन करना और क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग करने वाली संस्थाओं के साथ फायदों की साम्यापूर्ण साझेदारी का संवर्धन करने के लिए सहयोग करने वाली संस्थाओं के बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान का संवर्धन करना ।

9. क्षेत्रीय केन्द्र का यूनेस्को की अन्य संस्थाओं के सहयोग से कार्य करना—क्षेत्रीय केन्द्र, अन्य राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और यूनेस्को की अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के घनिष्ठ सहयोग से अपने उद्देश्यों को प्रवृत्त करेगा और अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा ।

10. क्षेत्रीय केन्द्र की शक्तियां—(1) क्षेत्रीय केन्द्र की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्: —

(क) जैव प्रौद्योगिकी और विभिन्न विद्या शाखाओं के अंतरापृष्ठ पर संबंधित विषयों जिनके अंतर्गत भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, चिकित्सा, कृषि और इंजीनियरी तथा ऐसे अन्य सुसंगत विज्ञान, जो क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा समय-समय पर अवधारित किए जाएं, में मास्टर डिग्री (जिसके अंतर्गत मास्टर डिग्री के लिए एकीकृत कार्यक्रम भी है) स्नातकोत्तर डिप्लोमा और डाक्टोरल डिग्री के लिए उपबंध करना;

(ख) जैव प्रौद्योगिकी और ऐसे सम्बन्धित क्षेत्रों के, जो समय-समय पर परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, विकास, विस्तार, क्रियान्वयन और विनियमन से संबंधित विनिर्दिष्ट मुद्दों पर जैव प्रौद्योगिकी में अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का उपबन्ध करना;

(ग) जैव प्रौद्योगिकी में बाहरी अध्ययनों, प्रशिक्षण और प्रसार सेवाओं को आयोजित करना और कराना;

(घ) परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से खंड (क) में निर्दिष्ट सम्मानित डिग्रियां या अन्य विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान करना;

(ङ) क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा अपेक्षित आचार्य पद, सह-आचार्य पद, सहायक आचार्य पद और अन्य शैक्षणिक पद संस्थित करना और ऐसे आचार्य पदों, सह-आचार्य पदों, सहायक आचार्य पदों या अन्य शैक्षणिक पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना;

(च) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारत के भीतर किसी उच्चतर विद्या संस्था के रूप में मान्यता देना और परिनियमों में अधिकथित सन्नियमों के अनुसार ऐसी मान्यता को वापस लेना;

(छ) किसी अन्य संस्था में, जिसके अंर्तगत ऐसी संस्थाएं भी हैं जो भारत के बाहर अवस्थित हैं, कार्यरत व्यक्तियों को क्षेत्रीय केन्द्र के शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के रूप में, ऐसी अवधि के लिए, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, नियुक्ति करना;

(ज) ऐसे प्रशासनिक, तकनीकी और अन्य पदों का सृजन करना, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और उस पर नियुक्ति करना;

(झ) किसी संस्था को जिसके अर्न्तगत ऐसी संस्थाएं भी हैं जो देश से बाहर अवस्थित हैं, ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाए और जो क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए अवधारित किए जाएं या करार पाए जाएं, सहकार करना या सहयोग करना या सहयुक्त होना;

(ञ) भारत में और भारत के बाहर अनुसंधान, विकास और शिक्षा के लिए ऐसे केन्द्रों और विशेषित प्रयोगशालाओं या अन्य इकाइयों की, जो परिनियमों द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाएं, स्थापना करना और उन्हें बनाए रखना;

(ट) ऐसी अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक और पुरस्कार, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, संस्थित और प्रदान करना;

(ठ) अनुसंधान और सलाहकारी सेवाओं के लिए उपबंध करना और उस प्रयोजन के लिए ऐसी अन्य संस्थाओं, उद्योगों या अन्य संगठनों के, जिसके अन्तर्गत वे भी हैं जो देश के बाहर सवस्थित हैं, साथ ऐसे करार करना, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं;

(ड) शिक्षकों, मूल्यांककों और अन्य पणधारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं, विचार गोष्ठियां और अन्य कार्यक्रम आयोजित और संचालित करना;

(ढ) ऐसे अभ्यागत आचार्यों, ख्यातिप्राप्त आचार्यों, मानद आचार्यों, सम्बद्ध आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शियों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करना जो क्षेत्रीय केन्द्र की उन्नति और उद्देश्यों के लिए योगदान दे सकें;

(ण) क्षेत्रीय केन्द्र में प्रवेश के मानकों को अवधारित करना जिसके अन्तर्गत परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य पद्धति भी है;

(त) फीसों और अन्य प्रभारों को निश्चित करना, उनकी मांग करना और उन्हें प्राप्त करना;

(थ) क्षेत्रीय केन्द्र के छात्रों के लिए छात्र निवास या निवास और छात्रों के लिए अन्य वास-सुविधाएं स्थापित करना, उन्हें मान्यता देना, उनका अनुरक्षण और प्रबंध करना और ऐसी किसी मान्यता को वापस लेना;

(द) समस्त प्रवर्गों के कर्मचारियों को सेवा की शर्तें जिनके अन्तर्गत उनकी आचार संहिता भी है, अधिकथित करना;

(ध) छात्रों और कर्मचारियों के बीच अनुशासन विनियमित करना और उसका पालन कराना तथा इस संबंध में ऐसे अनुशासनात्मक उपायों को करना जो क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा आवश्यक समझे जाएं;

(न) क्षेत्रीय केन्द्र के छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए व्यवस्थाएं करना;

(प) क्षेत्रीय केन्द्र के प्रयोजनों या उद्देश्यों के लिए उपकृति, संदान और दान प्राप्त करना तथा किसी जंगम या स्थावर संपत्ति जिसके अन्तर्गत न्यास और विन्यास संपत्तियां भी हैं, का अर्जन, धारण और प्रबंध करना तथा केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से उसका व्ययन करना;

(फ) केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय केन्द्र की संपत्ति की प्रतिभूति पर धन उधार लेना; और

(ब) ऐसे सभी अन्य कार्य और बातें करना जो धारा 7 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को अग्रसर करने में आवश्यक हों ।

(2) उपधारा (I) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्षेत्रीय केन्द्र शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान का उच्च स्तर बनाए रखने का प्रयास करेगा और क्षेत्रीय केन्द्र, ऐसे अन्य उपायों में से, विशिष्टतया, निम्नलिखित उपाय, जो उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक हों, करेगा, अर्थात् :—

(क) सावधिक पुनर्विलोकन और पुनर्संरचना के लिए उपबंध के साथ नवीनतम पाठ्यक्रमों और अध्ययन कार्यक्रमों का संचालन: और

(ख) प्रभावी प्रबंध सूचना प्रणाली के साथ ई-गर्वनेंस का संवर्धन ।

11. क्षेत्रीय केन्द्र का सभी जातियों, पंथ, मूलवंश या वर्गों के लिए खुला होना—क्षेत्रीय केन्द्र या उसके द्वारा मान्यता प्राप्त कोई संस्था स्त्री या पुरुष सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वे किसी भी जाति, पंथ, मूलवंश, नस्ल, राष्ट्रीयता या वर्ग के हों, खुला रहेगा और क्षेत्रीय केन्द्र या ऐसी संस्था के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति को क्षेत्रीय केन्द्र या ऐसी संस्था के शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने या उसमें कोई अन्य पद धारण करने के लिए या क्षेत्रीय केन्द्र या ऐसी संस्था में छात्र के रूप में प्रवेश पाने के लिए या उसके किसी विशेषाधिकार का उपभोग या प्रयोग करने का हकदार बनाने के लिए धार्मिक विश्वास या मान्यता सम्बन्धी मापदंड अपनाए या उस पर अधिरोपित करे ।

12. क्षेत्रीय केन्द्र के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां—क्षेत्रीय केन्द्र या क्षेत्रीय केन्द्र की बैठकों में भाग लेने वाले व्यक्ति ऐसे विशेषाधिकारों या उन्मुक्तियों का उपभोग करेंगे जो केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय केन्द्र के संबंध में यूनेस्को और भारत सरकार के बीच समय-समय पर किए गए करार के अनुसरण में प्रदान करे ।

13. क्षेत्रीय केन्द्र के प्राधिकरण—क्षेत्रीय केन्द्र के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात्:—

(i) शासक बोर्ड;

(ii) कार्यक्रम सलाहकार समिति;

(iii) कार्यपालिका समिति;

(iv) वित्त समिति;

(v) अध्ययन बोर्ड; और

(vi) ऐसे अन्य प्राधिकरण, जिन्हें परिनियमों द्वारा क्षेत्रीय केन्द्र का प्राधिकरण घोषित किया जाए ।

14. शासक बोर्ड—(1) इसका एक शासक बोर्ड होगा जो क्षेत्रीय केन्द्र के शासन के लिए उत्तरदायी होगा ।

(2) बोर्ड, क्षेत्रीय केन्द्र का शीर्ष निकाय होगा जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:—

(क) भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग का सचिव—पदेन अध्यक्ष;

(ख) सुसंगत क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन विख्यात वैज्ञानिक जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव या समतुल्य श्रेणी से नीचे के नहीं होंगे, उनमें से कम से कम एक महिला होगी—पदेन सदस्य;

(ग) यूनेस्को के महानिदेशक का प्रतिनिधि;

(घ) यूनेस्को के अन्य सदस्य राज्यों में से ऐसे दो प्रतिनिधि जिनका ऐसी रीति से, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, क्षेत्रीय केन्द्र को चलाने के लिए सारभूत रूप से संसाधनों का योगदान है—सदस्य ।

(3) कार्यक्रम सलाहकार समिति का अध्यक्ष, बोर्ड की बैठकों का स्थायी आमंत्रिती होगा ।

(4) क्षेत्रीय केन्द्र का कार्यपालक निदेशक, बोर्ड की बैठकों का संयोजक होगा ।

(5) अध्यक्ष, सामान्यतया, बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगा ।

(6) बोर्ड की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार और ऐसे समय पर होगी जो अध्यक्ष द्वारा ऐसी रीति से, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, विनिश्चित की जाए ।

(7) पदेन सदस्यों से भिन्न बोर्ड के सदस्यों की पदावधि वह होगी जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(8) इस अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए बोर्ड, बैठकों के संचालन और कारबार के संव्यवहार में (जिसके अंतर्गत गणपूर्ति भी है) अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित कर सकेगा ।

15. बोर्ड की शक्तियां और कृत्य—(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्:—

(क) क्षेत्रीय केन्द्र की वार्षिक योजना और बजट का अनुमोदन करना;

(ख) क्षेत्रीय केन्द्र की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और क्षेत्रीय केन्द्र के सुधार और विकास के लिए उपाय सुझाना;

(ग) क्षेत्रीय केन्द्र की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं पर तथा ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना;

(घ) क्षेत्रीय केन्द्र की आंतरिक प्रक्रियाओं का, जिसके अन्तर्गत वित्तीय प्रक्रिया और कर्मचारिवृंद संबंधी विनियम भी हैं, अध्ययन और उनका अनुमोदन करना;

(ङ) क्षेत्रीय केन्द्र के संगठनात्मक ढांचे का और शैक्षणिक कर्मचारिवृंद तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या का अनुमोदन करना;

(च) क्षेत्रीय केन्द्र की सेवाओं की परिधि को सुदृढ़ बनाने संबंधी प्रस्ताव अभिप्राप्त करने के लिए अपने सदस्यों का ऐसा विशेष परामर्शकारी सत्र बुलाना जिसमें वह अन्य हितबद्ध देशों तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर सकेगा;

(छ) क्षेत्रीय केन्द्र से सुसंगत परियोजनाओं और क्रियाकलापों को कार्यान्वित करना और निधि जुटाने की युक्ति और समर्थताओं का विस्तार करना; और

(ज) परिनियम विरचित करना ।

16. अध्यक्ष की शक्तियां और कृत्य—(1) अध्यक्ष, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो बोर्ड द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं या जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) यदि किसी कारण से अध्यक्ष, बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो अध्यक्ष द्वारा बोर्ड का नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य, बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

17. कार्यक्रम सलाहकार समिति—(1) कार्यक्रम सलाहकार समिति, क्षेत्रीय केन्द्र का प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन सहते हुए क्षेत्रीय केन्द्र के वैज्ञानिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों की योजना बनाने, उसका निष्पादन, पुनर्विलोकन और मानीटरी करने की सलाह देगी ।

(2) कार्यक्रम सलाहकार समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(क) कार्यक्रम सलाहकार समिति का बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला अध्यक्ष;

(ख) यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र, शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन) द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले, दो सदस्य;

(ग) यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र, शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन) के सदस्य राज्यों में से चक्रानुक्रम से नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले ऐसे तीन सदस्य जो अधिकतम वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं;

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले, जैव प्रौद्योगिकी नीति और विधिक विषयों में विशेषतज्ञता और अनुभव रखने वाले, दो सदस्य;

(ङ) विख्यात वैज्ञानिक या विद्याव्यसनी व्यक्तियों में से बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले छह सदस्य ।

(3) कार्यपालक निदेशक, कार्यक्रम सलाहकार समिति का पदेन सदस्य सचिव होगा ।

(4) कार्यक्रम सलाहकार समिति, —

(क) शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की योजना बनाने और उसका समन्वय करने संबंधी विषयों पर सिफारिशें करने के लिए उत्तरदायी होगी;

(ख) क्षेत्रीय केन्द्र की शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमों के उपांतरणों या पुनरीक्षण की सिफारिश करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए उत्तरदायी होगी ;

(ग) क्षेत्रीय केन्द्र के कार्यक्रमों का वार्षिक रूप से पुनर्विलोकन करने, उसकी प्रगति का मूल्यांकन करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए उत्तरदायी होगी;

(घ) बोर्ड द्वारा या कार्यपालक निदेशक द्वारा उसे निर्दिष्ट वैज्ञानिक और तकनीकी मुद्दों से संबंधित किसी विषय पर रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए उत्तरदायी होगी;

(ङ) ऐसे सभी कर्तव्यों का पालन करने और ऐसे सभी कृत्यों को करने के लिए उत्तरदायी होगी जो इस अधिनियम के अधीन शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हों;

(च) अध्यादेश विरचित करने के लिए उत्तरदायी होगी; और

(छ) ऐसे अन्य कृत्य करने के लिए उत्तरदायी होगी जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(5) कार्यक्रम सलाहकार समिति के सदस्यों को संदेय फीस और भत्ते तथा उनकी पदावधि वह होगी जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(6) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए परिनियमों और अध्यादेशों के अधीन रहते हुए कार्यक्रम सलाहकार समिति, बैठकों के संचालन और अपने कारबार के संव्यवहार के लिए (जिसके अंतर्गत गणपूर्ति भी है) अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित कर सकेगी:

परन्तु कार्यक्रम सलाहकार समिति, शासक बोर्ड के समक्ष अपनी बैठकों का कार्यवृत्त रखेगी ।

18. कार्यपालिका समिति—(1) कार्यपालिका समिति, क्षेत्रीय केन्द्र का प्रबंध करने और प्रबंध संबंधी बोर्ड की नीतियों और विनिश्चयों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगी ।

(2) कार्यपालिका समिति का गठन, शक्तियां और कृत्य तथा उसके सदस्यों की पदावधि वह होगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए ।

19. वित्त समिति—(1) वित्त समिति, वित्तपोषण का पुनर्विलोकन करेगी, वार्षिक बजट प्राक्कलनों, लेखे विवरणों और संपरीक्षा रिपोर्टों पर विचार करेगी तथा उस पर बोर्ड को सिफारिशें करेगी ।

(2) वित्त समिति का गठन, शक्तियां और कृत्य, तथा उसके सदस्यों की पदावधि वह होगी, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

20. क्षेत्रीय केन्द्र के अन्य प्राधिकरण—धारा 13 के खंड (vi) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य तथा, उनके सदस्यों की पदावधि वह होगी जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

21. अध्ययन बोर्ड—अध्ययन बोर्ड का गठन, उसकी शक्तियां और कृत्य और उसके सदस्यों की पदावधि वह होगी जो, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

22. क्षेत्रीय केन्द्र के अधिकारी—क्षेत्रीय केन्द्र के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्:—

(i) कार्यपालक निदेशक;

(ii) संकायाध्यक्ष;

(iii) उप-संकायाध्यक्ष;

(iv) सहयुक्त निदेशक (प्रशासन);

(v) कुलसचिव;

(vi) वित्त अधिकारी; और

(vii) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा क्षेत्रीय केन्द्र के अधिकारी घोषित किए जाएं ।

23. कार्यपालक निदेशक—(1) कार्यपालक निदेशक की नियुक्ति बोर्ड की सिफारिश पर ऐसी रीति से और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(2) कार्यपालक निदेशक, —

(क) क्षेत्रीय केन्द्र का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा;

(ख) बोर्ड द्वारा स्थापित कार्यक्रमों और निदेशों के अनुरूप क्षेत्रीय केन्द्र के कार्य को निर्दिष्ट करेगा;

(ग) बोर्ड को प्रस्तुत की जाने वाली कार्य योजना का प्रारूप और बजट का प्रस्ताव करेगा;

(घ) बोर्ड के सत्रों के लिए कार्यसूची तैयार करेगा;

(ङ) बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए क्षेत्रीय केन्द्र के क्रियाकलापों पर रिपोर्ट तैयार करेगा; और

(च) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(3) बोर्ड द्वारा कार्यपालक निदेशक को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियां वे होंगी, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(4) कार्यपालक निदेशक, यदि उसकी यह राय है कि किसी विषय पर तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है तो वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन क्षेत्रीय केन्द्र के किसी प्राधिकरण को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा और ऐसे विषय पर उसके द्वारा की गई कार्रवाई की आगामी बैठक में ऐसे प्राधिकरण को रिपोर्ट करेगा ।

24. संकायाध्यक्ष और उप-संकायाध्यक्ष—संकायाध्यक्ष और उप-संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति में और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

25. सहयुक्त निदेशक (प्रशासन)—(1) सहयुक्त निदेशक (प्रशासन) की नियुक्ति ऐसी रीति से और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(2) सहयुक्त निदेशक (प्रशासन) को क्षेत्रीय केन्द्र की ओर से करार करने, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

26. कुलसचिव—कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

27. वित्त अधिकारी—वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

28. अन्य अधिकारी—धारा 22 के खंड (vii) में निर्दिष्ट क्षेत्रीय केन्द्र के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति तथा शक्तियां और कर्तव्य तथा सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें वे होंगी, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

29. क्षेत्रीय केन्द्र को अनुदान और उधार—केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा, क्षेत्रीय केन्द्र को इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् अनुदानों और उधारों के रूप में उतनी धनराशि का संदाय ऐसी रीति में कर सकेगी जो वह सरकार, इस अधिनियम के उद्देश्यों और प्रयोजनों को पूरा किए जाने हेतु उपयोग किए जाने के लिए आवश्यक समझे ।

30. क्षेत्रीय केंद्र की निधि—(1) क्षेत्रीय केन्द्र एक निधि रखेगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा, —

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी धनराशियां;

(ख) क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा प्राप्त सभी फीस और अन्य प्रभार;

(ग) अनुदानों, दानों, संदानों, उपकृतियों, वसीयतों या अन्तरण के रूप क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा प्राप्त सभी धराशियां; और

(घ) किसी अन्य रीति में या किसी अन्य स्रोत से क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा प्राप्त सभी धनराशियां ।

(2) निधि में जमा की गई सभी धराशियां ऐसे बैंकों में जमा की जाएंगी या उनका ऐसी रीति में विनिधान किया जाएगा जैसा क्षेत्रीय केन्द्र, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से विनिश्चय करे ।

(3) निधि निम्नलिखित की पूर्ति के लिए उपयोजित की जाएगी, —

(क) क्षेत्रीय केन्द्र के बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों या कार्यक्रम सलाहकार समिति के अध्यक्ष और अन्य समितियों के सदस्यों को संदेय फीस और भत्ते तथा उसके शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक;

(ख) क्षेत्रीय केन्द्र के कृत्यों के निर्वहन में और उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा इस अधिनियम के अधीन यथा परिकल्पित प्रयोजनों के लिए हुए व्यय ।

31. वार्षिक रिपोर्ट—(1) क्षेत्रीय केन्द्र की वार्षिक रिपोर्ट, कार्यपालक निदेशक के निदेशाधीन तैयार की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ-साथ क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए गए उपाय सम्मिलित होंगे और वह बोर्ड को उस तारीख को या उसके पूर्व प्रस्तुत की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए और बोर्ड अपनी वार्षिक बैठक में उस रिपोर्ट पर विचार करेगा ।

(2) ऐसी वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति, जो उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई है, केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की जाएगी, जो यथाशीघ्र उसे संसद् के दोनों के समक्ष रखवाएगी ।

32. वार्षिक लेखे—(1) क्षेत्रीय केन्द्र के वार्षिक लेखे और तुलनपत्र, बोर्ड के निदेशाधीन तैयार किए जाएंगे और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम एक बार और पन्द्रह मास से अनधिक के अन्तरालों पर उनकी संपरीक्षा की जाएगी ।

(2) संपरीक्षा रिपोर्ट सहित लेखाओं की एक प्रति बोर्ड के संप्रेक्षणों के साथ, यदि कोई हों, केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की जाएगी ।

(3) वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं की एक प्रति संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ, केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की जाएगी, जो यथाशीघ्र उसे संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

(4) संपरीक्षित वार्षिक लेखे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने के पश्चात् राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे ।

33. विवरणियां और जानकारी—क्षेत्रीय केन्द्र, केन्द्रीय सरकार को, उसकी संपत्ति या क्रियाकलापों के संबंध में ऐसी विवरणियां या अन्य जानकारी, जिसकी केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर अपेक्षा करे, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर देगा ।

34. क्षेत्रीय केन्द्र के कार्यकरण का पुनर्विलोकन—(1) क्षेत्रीय केन्द्र के कार्यकरण का, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले ऐसे सुविख्यात व्यक्तियों द्वारा, प्रत्येक चार वर्ष में एक बार पुनर्विलोकन किया जाएगा ।

(2) क्षेत्रीय केन्द्र, उपधारा (1) के अधीन पुनर्विलोकन कराने के लिए व्ययों को पूरा करेगा और ऐसे पुनर्विलोकन की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर बोर्ड समुचित कार्रवाई कर सकेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन पुनर्विलोकन के अतिरिक्त बोर्ड, क्षेत्रीय केन्द्र के प्रशासनिक और शैक्षणिक खंडों के कार्यकरण का, ऐसी रीति से और ऐसे अन्तरालों पर जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, पुनर्विलोकन कर सकेगा ।

35. क्षेत्रीय केन्द्र के कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा-शर्तें—(1) क्षेत्रीय केन्द्र के कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां परिनियमों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार,—

(क) कार्यपालक निदेशक, संकायाध्यक्ष और उप-संकायाध्यक्ष के लिए शासक बोर्ड द्वारा;

(ख) अन्य मामलों में कार्यपालक निदेशक द्वारा,

की जाएगी ।

(2) क्षेत्रीय केन्द्र के धारा 22 के खंड (vii) में निर्दिष्ट अधिकारियों से भिन्न कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(3) शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सेवा के निबंधन और शर्तें, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान में लगे ऐसे कर्मचारिवृंद के संगत होंगी ।

36. बैठकें—बोर्ड, कार्यक्रम सलाहकार समिति, कार्यपालिका समिति या क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा गठित अन्य समितियों की बैठकें, सदस्यों को अनिवार्यत: वास्तविक रूप से उपस्थित हुए बिना सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकियों (जिसके अंतर्गत वीडियो कांफ्रेंसिंग भी है) के समसामयिक यंत्रों का प्रयोग करके आयोजित की जा सकेंगी ।

37. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना—धारा 13 के अधीन प्राधिकरणों के (पदेन सदस्यों से भिन्न) सदस्यों में सभी आकस्मिक रिक्तियां यथाशीघ्र ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जाएंगी जिसने उस सदस्य को जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया था और आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति ऐसे प्राधिकरण का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा, जिसके दौरान वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य रहता ।

38. प्राधिकरण की कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य न होना—क्षेत्रीय केन्द्र के किसी प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि उसके सदस्यों के बीच कोई रिक्ति या रिक्तियां हैं ।

39. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण—इस अधिनियम या परिनियमों, अध्यादेशों या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के किन्हीं उपबंधों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही क्षेत्रीय केन्द्र के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

40. माध्यस्थम्—क्षेत्रीय केन्द्र और उसके किन्हीं कर्मचारियों के मध्य उद्भूत किसी विवाद का प्रथमत: ऐसे शिकायत निवारण तंत्र द्वारा समाधान किया जाएगा जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

41. परिनियम बनाने की शक्ति—(1) क्षेत्रीय केन्द्र के परिनियम शासक बोर्ड द्वारा विरचित किए जाएंगे ।

(2) उपधारा (l) में अन्तर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कार्यपालिका समिति परिनियमों की विरचना के लिए बोर्ड को सिफारिश कर सकेगी ।

(3) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन समय-समय पर जैव प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्रों के विकास, विस्तार, कार्यान्वयन और विनियम से संबंधित विनिर्दिष्ट मुद्दों पर जैव प्रौद्योगिकी में अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का उपबंध करना;

(ख) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन सम्मानिक डिग्रियां या अन्य विद्या संबंधी सम्मान प्रदत्त करने की रीति;

(ग) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन भारत में किसी उच्चतर विद्या संस्था को मान्यता देने और ऐसी मान्यता वापस लेने के मानक;

(घ) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन किसी अन्य संस्था में जिसके अंतर्गत ऐसी संस्थाएं भी हैं जो देश के बाहर अवस्थित हैं, कार्यरत व्यक्तियों की क्षेत्रीय केन्द्र के कर्मचारिवृंद के रूप में नियुक्ति की अवधि;

(ङ) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ज) के अधीन प्रशासनिक, तकनीकी और अन्य पदों का सृजन करना;

(च) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (झ) के अधीन किसी अन्य संस्था के साथ, जिसके अंतर्गत ऐसी संस्थाएं भी हैं जो देश के बाहर अवस्थित हैं; सहकार या सहयोग करने या सहयुक्त होने की रीति और प्रयोजन;

(छ) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ञ) के अधीन भारत में और भारत के बाहर अनुसंधान, विकास और शिक्षा के लिए केन्द्रों और विशेषित प्रयोगशालाओं या अन्य इकाइयों की स्थापना करना;

(ज) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ट) के अधीन अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना;

(झ) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ठ) के अधीन अन्य संस्थाओं, औद्योगिक या अन्य संगठनों जिसके अंतर्गत वे भी हैं जो देश के बाहर अवस्थित हैं, के साथ अनुसंधान और सलाहकारी सेवाओं के लिए करार करने की रीति;

(ञ) धारा 13 के खंड (vi) के अधीन अन्य प्राधिकरणों को क्षेत्रीय केन्द्र के प्राधिकरण होने के रूप में घोषित करना;

(ट) धारा 14 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन यूनेस्को के सदस्य राज्यों में से प्रतिनिधियों की नियुक्ति की रीति;

(ठ) वह समय और रीति जिसमें धारा 14 की उपधारा (5) के अधीन बोर्ड की बैठक की जाएगी;

(ड) धारा 14 की उपधारा (6) के अधीन बोर्ड के सदस्यों की पदावधि;

(ढ) धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन अध्यक्ष की ऐसी अन्य शक्तियां और कृत्य;

(ण) धारा 17 की उपधारा (4) के खंड (छ) के अधीन कार्यक्रम सलाहकार समिति के ऐसे अन्य कृत्य;

(त) धारा 17 की उपधारा (5) के अधीन कार्यक्रम सलाहकार समिति के सदस्यों को संदेय फीसें और भत्ते तथा उनकी पदावधि;

(थ) धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन कार्यपालिका समिति का गठन, शक्तियां और कृत्य तथा उसके सदस्यों की पदावधि;

(द) धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन वित्त समिति का गठन, शक्तियां और कृत्य तथा उसके सदस्यों की पदावधि;

(ध) धारा 20 के अधीन अन्य प्राधिकरणों का गठन, शक्तियां और कृत्य तथा उसके सदस्यों की पदावधि;

(न) धारा 21 के अधीन अध्ययन बोर्ड का गठन, शक्तियां और कृत्य तथा उसके सदस्यों की पदावधि;

(प) ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें धारा 22 के खंड (vii) के अधीन क्षेत्रीय केन्द्र का अधिकारी घोषित किया जाए;

(फ) धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन कार्यपालक निदेशक की नियुक्ति की रीति और उसके सेवा के निबन्धन और शर्तें;

(ब) धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन कार्यपालक निदेशक की अन्य शक्तियां और कृत्य;

(भ) बोर्ड द्वारा धारा 23 की उपधारा (3) के अधीन कार्यपालक निदेशक को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियां;

(म) धारा 24 के अधीन संकायाध्यक्ष और उपसंकायाध्यक्ष की नियुक्ति की रीति, सेवा के निबन्धन और शर्तें तथा शक्तियां और कर्तव्य;

(य) धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन सहयुक्त निदेशक (प्रशासन) की नियुक्ति की रीति तथा सेवा के निबन्धन और शर्तें तथा उपधारा (2) के अधीन उसकी शक्तियां और उसके द्वारा पालन किए वाले कर्तव्य;

(यक) धारा 26 के अधीन कुलसचिव की नियुक्ति की रीति, उसकी सेवा के निबन्धन और शर्तें तथा उसकी शक्तियां और कर्तव्य;

(यख) धारा 27 के अधीन वित्त अधिकारी की नियुक्ति की रीति, उसकी सेवा के निबन्धन और शर्तें तथा उसकी शक्तियां और कर्तव्य;

(यग) धारा 28 के अधीन क्षेत्रीय केन्द्र के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, शक्तियां और कर्तव्य तथा उनकी सेवा के निबन्धन और शर्तें ;

(यघ) धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड को क्षेत्रीय केन्द्र की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय;

(यङ) धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन बोर्ड द्वारा क्षेत्रीय केन्द्र के प्रशासनिक और शैक्षणिक खंड के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करने की रीति और आवृत्ति;

(यच) धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन क्षेत्रीय केन्द्र के कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया और उपधारा (2) सके अधीन उनकी सेवा के निबन्धन और शर्तें;

(यछ) धारा 40 के अधीन क्षेत्रीय केन्द्र और उसके किन्हीं कर्मचारियों के बीच उद्भूत विवादों के समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र;

(यज) धारा 43 के अधीन क्षेत्रीय केन्द्र के प्राधिकरणों द्वारा विनियम बनाने की रीति: और

(यझ) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित या आवश्यक हो ।

42. अध्यादेश बनाने के शक्ति—(1)इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, क्षेत्रीय केन्द्र के अध्यादेश, कार्यक्रम सलाहकार समिति द्वारा बनाए जाएंगे ।

(2) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए क्षेत्रीय केन्द्र के अध्यादेशों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात् : —

(क) भारत में से और क्षेत्रीय केन्द्र के क्षेत्र से छात्रों का प्रवेश और उस रूप में उनका नाम दर्ज किया जाना;

(ख) पाठ्यक्रम;

(ग) वे शर्तें जिनके अधीन छात्रों को क्षेत्रीय केन्द्र की परिक्षाओं के लिए प्रवेश दिया जाएगा और वे डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाणपत्रों के लिए पात्र होंगे;

(घ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाने की शर्तें;

(ङ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की नियुक्ति की शर्तें और रीति, पदावधि तथा उनके कर्तव्य;

(च) परीक्षाओं का संचालन;

(छ) क्षेत्रीय केन्द्र के छात्रों के निवास की शर्तें;

(ज) कर्मचारियों और छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखना;

(झ) क्षेत्रीय केन्द्र की सभी डिग्रियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणमत्रों के लिए पाठ्यक्रम जिसके अर्न्तगत शिक्षण और परीक्षा का माध्यम भी है, अधिकथित करना;

(ञ) डिग्रियों और अन्य विद्या संबंधी उपाधियों का प्रदान किया जाना, और उन्हें प्रदान करने और अभिप्राप्त करने की रीति;

(ट) डिग्रियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी उपाधियों का वापस लिया जाना;

(ठ) क्षेत्रीय केन्द्र के पाठ्यक्रमों के लिए और परीक्षाओं में प्रवेश, डिग्रियों और डिप्लोमाओं के लिए प्रभारित फीस;

(ड) छात्राओं के निवास और अध्यापन के लिए किए जाने वाले विशेष प्रबंध, यदि कोई हों, और उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम विहित करना;

(ढ) अध्ययन केन्द्रों, विद्यालयों, विभागों, विशेषित प्रयोगशालाओं, छात्र निवासों और संस्थाओं की स्थापना, प्रबंध मान्यता और उत्सादन; और

(ण) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किए जाने हैं या किए जाएं ।

43. विनियम—क्षेत्रीय केन्द्र के प्राधिकरण, स्वयं अपने और अपने द्वारा नियुक्त की गई समितियों के, यदि कोई हों, कार्य संचालन के लिए, जिसका इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंध नहीं किया गया है, परिनियमों द्वारा विहित रीति से ऐसे विनियम बना सकेंगे जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों से संगत हों ।

44. परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना और संसद् के समक्ष रखा जाना—(1)इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम, राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश या विनियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस परिनियम या अध्यादेश या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात् वह परिनियम या अध्यादेश या विनियम ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह परिनियम या अध्यादेश या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह परिनियम या अध्यादेश या विनियम निष्प्रभाव हो जाएगा । तथापि, परिनियम या अध्यादेश या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

45. भूतलक्षी रूप से परिनियम या अध्यादेश या विनियम बनाने की शक्ति—यथास्थिति, धारा 41 या धारा 42 या धारा 43 के अधीन परिनियम या अध्यादेश या विनियम बनाने की शक्ति के अर्न्तगत परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों या उनमें से किसी को उस तारीख से, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्वतर न हों, भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी होगी किन्तु किसी परिनियम या अध्यादेश या विनियम को भूतलक्षी प्रभाव इस प्रकार नहीं दिया जाएगा जिससे कि किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसको ऐसा परिनियम या अध्यादेश या विनियम लागू हो, हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।

46. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, और जो कठिनाई दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

———